17/4/25

पक्षा. प्रेमाई वकील/वादी अर्थ वादी/प्रतिवादी वाद.
एकी सुनवाई का पूर्व अवकाशकालीन पक्षों को
नोटिस देकर वाद खारिज।

आदेश पत्रावली सरसरी तौर पर देखी गई
सुनवाई पश्चात पक्षा. प्रेमाई अनुपस्थित पाया
गया।